

कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1718047 दिनांक 09-11-2017
पत्र सं०-सचल दल- / 2058

/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(सचलदल-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर, 2017
०९

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) /
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1415112 दि० 09-01-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फेल बहती के वादों के निस्तारण हेतु जोन में कार्यरत सचलदल इकाइयों के समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, प्रभारी, सचलदल को पदनाम से कर निर्धारण अधिकारी नामित करते हुए वादों का निस्तारण प्राथमिकता से करने एवं जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने जोन में स्थित प्रवेश स्थल से सम्बंधित फेल बहती के वादों की सूची एवं हस्तान्तरण हेतु प्राप्त वादों की समेकित सूची तैयार कराकर समानुपातिक रूप से वादों को अपने स्तर से जोन में कार्यरत समस्त स०द० इकाइयों के प्रभारी असिस्टेन्ट कमिश्नर के मध्य हस्तान्तरित वादों के हस्तान्तरण हेतु प्राधिकृत किया गया था।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि फेल बहती से सम्बंधित वाद काफी मात्रा में लम्बित है तथा उनका निस्तारण प्राथमिकता से नहीं किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र संख्या 1415112 दि० 09-01-2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने जोन में लम्बित फेल बहती के वादों का वितरण जोन में कार्यरत समस्त स०द० इकाइयों के प्रभारी असिस्टेन्ट कमिश्नर के मध्य करते हुए उसका निस्तारण प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें तथा कोई भी वाद कालबाधित न होने पाये। यह भी निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर अर्थदण्ड / कर निर्धारण कार्यवाही तथा वसूली के सम्बंध में पर्यवेक्षणीय अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे तथा सूचना निर्धारित प्रारूप में सचलदल अनुभाग में प्रत्येकदशा में दिनांक 31-12-2017 तक उपलब्ध करायेंगे।


उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

प्रारूप

जोन का नाम -

धनराशि लाख रु० में

वर्ष	कर निर्धारण / अर्थदण्ड हेतु कुल वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	आरोपित कर / अर्थदण्ड	वसूल की गई धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2013-14					
वर्ष 2014-15					
वर्ष 2015-16					


(गुलाब चन्द्र)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।